

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

21/12/22

पत्रावली पेश हुई पीठासीन
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।
पूर्वानुसार दि. 27/02/23 को पेश हो

27/1/23

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्राची उप.
बदल सुनी गई। आदेश नही सुनाया गी
जसका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक
6/2/23 को पेश हो।

6/2/23

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्राची
उपरिष्कृत। प्रकरण का संक्षेप मे
विवरण इस प्रकार है कि प्राचीगण
ने प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 के तहत
इस आदेश का पेश किया है कि
आराजी रव० न० हाल 612, 613,
614 कुल किता 3 रकवा 6 बीघा
06 विस्वा वाले ग्राम कडावल
तहसील रूपवास जो कि पुराने रव०
न० 464 से बने है। श्रु प्रबन्ध विभाग
द्वारा बथाना रूपवास रोड से
कडावल वाले हनुमान जी को जाने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या अहकाय हुक्म की तारीख में जारी हुआ तारीख हुक्म
	<p>वाली सड़क गत खसरा नम्बर 464 के ऊपर 463, 465, 466 में होकर जाती है। लेकिन भू-पब्लिक विभाग के कर्मचारियों ने उक्त सड़क का अंकन गत खसरा नम्बर 464 से बने खसरा नम्बर 612, 613, 614 में खसरा नम्बर 613 में से होकर उक्त सड़क का अंकन कर दिया है जो कि निम्न रूप वास्तविक मौके की स्थिति के विकट है। प्रार्थी के अधिभाषक ने निवेदन किया है कि बघाना कपवास की सड़क से कड़ावाल वाले हनुमान जी को जाने वाली सड़क का अंकन खसरा नं. 612, 613, 614 से ऊपर खसरा नं. 608, 615, 616 में होकर अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावें।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपार्थीगण की तलवी परिये नोटिस की गई। तदस्मिन्तंशर</p>	

कपवास ने पत्र क्रमांक/LR/2022/3214
दिनांक 18-11-2022 से जवाब पेश किया
जो शामिल पत्रावली किया गया।

मुगाविक तहसीलदार कपवास बन्डोवस्त
विभाग द्वारा साविक स्व. नं. 464 रकवा

6 बीघा 06 विस्था हाल स्व. 612 613
0.07 0.09

614 हेक्टे. बनाए गये है जो मौका
0.23

अनुसार स्व. नं. 613 रकवा 0.09 किस्म

गो. मु. स्व. नं. बनाई गई है। जो त्रुटिपूर्ण

है। वर्तमान में मौके पर सडक पुराने

स्व. नं. नम्बरान 463, 465, 466 व

468 में होकर जा रही है। तहसीलदार

कपवास ने डुकस्ती किये जाने की

सिकायत की है।

पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रार्थी के अभिभासक के तर्कों
पर मनन किया गया। प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना
न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नया अरक हुक्म तारीख हुक्म
----------------	------------------------------------	---------------------------------------

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
 136 LR Act स्वीकार किया जाकर
 तहसीलदार रुपवास को आदेशा दिये
 जाते हैं कि बयाना रुपवास की गैंगुल
 सड़क से करावल वाले हनुमान जी
 को जाने वाली सड़क का अंकन
 स्वसरा नम्बर 463, 465, 466 व
 468 में किया जावे। तहसीलदार
 रुपवास को तहरीर जारी हो। पत्रावली
 फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से
 कम हो डारिवल उपर हो।

